राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.4(5)वित्त/अंकेक्षण/2012 जयपुर, दिनांक : 1 DEC 2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष

विषय : विभिन्न कार्यालयों द्वारा राजस्व/शुल्क/मांग पत्रों, आदेशों एवं निर्णयों में महालेखाकार कार्यालय के आक्षेपों का संदर्भ नहीं दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

यह ध्यान में लाया गया है कि महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों के आधार पर विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा जारी किये जा रहे मांग पत्रों, आदेशों एवं निर्णयों आदि में कार्यालय महालेखाकार के ऑडिट आक्षेपों का संदर्भ दिया जाता है, जिससे न्यायालय में किसी पक्षकार के पहुंचने पर महालेखाकार को एक पक्ष बनाने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है, जबकि महालेखाकार कार्यालय का किसी भी पक्षकार से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं होता।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा का कार्य संवैधानिक दायित्वों के अधीन संबंधित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में कार्यप्रक्रिया की त्रुटि, नियमों की अवहेलना आदि के कारण आक्षेप गठित किया जाता है, इन आक्षेपों का परीक्षण कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और यदि विभाग महालेखाकार की आपत्ति से सहमत हैं तो, वसूली आदि के लिए जारी किये जाने वाले मांग पत्र में महालेखाकार के आक्षेपों को संदर्भित करते हुए मांग पत्र, आदेश, निर्णय जारी करने के स्थान पर संबंधित त्रुटि, नियम/उपनियम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

भवदीय,

(डी.बी.गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ट) को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव